भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4198

दिनांक 19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

मुक्त व्यापार समझौतों के लिए वार्ता

4198. श्री अरुण भारती:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख आर्थिक साझेदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के लिए वार्ता की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) हाल ही में किए गए मुक्त व्यापार समझौते का भारत के समग्र निर्यात और व्यापार घाटे पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) विभिन्न उत्पादन-सहबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के तहत अब तक कुल कितना निवेश, उत्पादन और रोजगार सृजित हुआ है;

(घ) महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयात निर्भरता को कम करने में इन योजनाओं की प्रभावशीलता क्या है; और

(ङ) विनिर्माण क्षेत्र में और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) सरकार ने दिनांक 24 जुलाई, 2025 को भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर भारत की चल रही वार्ताओं का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) भारत-यूके सीईटीए, भारत से यूके को होने वाले लगभग 99 प्रतिशत निर्यात को अभूतपूर्व शुल्क-मुक्त पहुँच प्रदान करता है, जो व्यापार मूल्य का लगभग 100% है। इसमें वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, और खिलौने जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के साथ-साथ इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायन और ऑटो कंपोनेंट जैसे उच्च-वृद्धि वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। इससे बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, कारीगरों, महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों और एमएसएमई को सशक्त बनाया जाएगा। सेवा क्षेत्र, जो भारत की अर्थव्यवस्था का एक मज़बूत चालक है, को भी व्यापक

लाभ होगा। यह समझौता आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं, वित्तीय और विधिक सेवाओं, पेशेवर और शैक्षिक सेवाओं, और डिजिटल व्यापार में बेहतर बाज़ार पहुँच प्रदान करता है। भारत ने डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी एक समझौता किया है। इससे भारतीय पेशेवरों और उनके नियोक्ताओं को ब्रिटेन में तीन साल तक के लिए सामाजिक सुरक्षा भुगतान से छूट मिलेगी। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154945&ModuleId=3. पर देखा जा सकता है।

मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) मुख्य रूप से संबंधित व्यापारिक साझेदार देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, ताकि बाज़ार पहुँच का दायरा बढ़ाया जा सके और व्यापार एवं निवेश बढ़ाने के लिए व्यापारिक अनुपूरकताओं का निर्माण किया जा सके, जिससे निर्यात क्षमता में वृद्धि हो, उद्योग, किसानों, एमएसएमई को लाभ हो और रोज़गार के अवसर पैदा हों। एफटीए पर वार्ता इस प्रयास के साथ की जाती है कि निष्पक्षता और पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित एक व्यापक, संतुलित, व्यापक और न्यायसंगत समझौता हो। यह व्यापारिक साझेदार देशों में भारतीय निर्यातकों और उनके प्रतिस्पर्धियों के लिए साथ समान अवसर भी सुनिश्चित करता है।

(ग) और (घ) भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए, 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए उत्पादन -सहबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं की घोषणा की गई।

ये 14 क्षेत्र हैं: (i) मोबाइल विनिर्माण और विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, (ii) महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री/औषधि इन्टर्मीडीएरीज़ और सक्रिय दवा सामग्री, (iii) चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण (iv) ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, (v) फार्मास्युटिकल ड्रग्स, (vi) विशेष स्टील, (vii) टेलीकॉम और नेटवर्किंग उत्पाद, (viii) इलेक्ट्रॉनिक /प्रौद्योगिकी उत्पाद, (ix) व्हाईट गुड्स (एसी और एलईडी), (x) खाद्य उत्पाद, (xi) वस्त्र उत्पाद: एमएमएफ सेगमेंट और तकनीकी वस्त्र, (xii) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, (xiii) उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी, और (xiv) ड्रोन और ड्रोन घटक।

पीएलआई योजनाओं का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में निवेश आकर्षित करना; दक्षता सुनिश्चित करना, विनिर्माण क्षेत्र में आकार और स्केल की अर्थव्यवस्था लाना और भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।

पीएलआई योजनाओं के तहत 14 क्षेत्रों में मार्च 2025 तक 1.76 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वास्तविक निवेश किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप से 16.5 लाख करोड़ रूपये का वृद्धिशील

उत्पादन/बिक्री और 12 लाख से अधिक (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) रोजगार का सृजन हुआ है । भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पीएलआई योजनाओं का प्रभाव उल्लेखनीय रहा है। इन योजनाओं ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया है, जिससे उत्पादन में वृद्धि, रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा मिला है।

फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में कुल 2.66 लाख करोड़ रुपये की संचयी बिक्री हुई है। जिसमें 1.70 लाख रुपये का निर्यात शामिल है जिसे योजना के पहले तीन वर्षों में हासिल किया गया। वित्त वर्ष 2021-22 में इस योजना ने भारत को थोक औषधियों के शुद्ध आयातक (-1930 करोड़ रुपये) से शुद्ध निर्यातक (2280 करोड़ रुपये) बनाने में योगदान दिया है। इसके परिणामस्वरूप घरेलू विनिर्माण क्षमता और महत्वपूर्ण औषधियों की मांग के बीच के अंतर में भी उल्लेखनीय कमी आई है।

चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत, 21 परियोजनाओं ने 54 विशिष्ट चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण शुरू कर दिया है, जिनमें लीनियर एक्सेलरेटर (एलआईएनएसी), एमआरआई, सीटी-स्कैन, हार्ट वाल्व, स्टेंट, डायलाइज़र मशीन, सी-आर्म, कैथ लैब, मैमोग्राफ , एमआरआई कॉइल आदि जैसे उच्च-स्तरीय उपकरण शामिल हैं। उद्योग संघ और डीजीसीआईएस के अनुसार, मूल्य के संदर्भ में मोबाइल का उत्पादन वर्ष 2020-21 में 2,13,773 करोड़ रुपये से लगभग 146% बढ़कर वर्ष 2024-25 में 5,25,000 करोड़ रुपये हो गया है । इसी अवधि के दौरान, मूल्य के संदर्भ में मोबाइल फोन का निर्यात वर्ष 2020-21 में 22,870 करोड़ रुपये से लगभग 775% बढ़कर वर्ष 2024-25 में 2,00,000 करोड़ रुपये हो गया है।

(ङ.) दिनांक 15.10.2020 के समेकित एफडीआई नीति परिपत्र के पैरा 5.2.5.1 जो यथा समय संशोधित है, के अनुसार, 'विनिर्माण' क्षेत्र में विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत है।

हाल के वर्षों में, भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए एक आकर्षक गंतव्य रहा है। भारत ने आर्थिक विकास को गति देने और विदेशी पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) संबंधी नीतियों को उदार बनाने के उद्देश्य से कई सुधार लागू किए हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने एक निवेशक-अनुकूल नीति लागू की है, जिसके तहत कुछ कार्यनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, अधिकांश क्षेत्र ऑटोमैटिक रूट के अंतर्गत 100% एफडीआई के लिए खुले हैं। 90% से अधिक एफडीआई प्रवाह ऑटोमैटिक रूट के अंतर्गत प्राप्त होता है। भारत में कोई भी उद्योग शुरू करने और आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के लिए निवेशकों हेतु भारत सरकार के ऑनलाइन एकल बिंदु इंटरफ़ेस के रूप में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) भी शुरू की गई है।

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत एक आकर्षक और निवेशक-अनुकूल गंतव्य बना रहे, सरकार निरंतर आधार पर एफडीआई नीति की समीक्षा करती है और शीर्ष उद्योग चैम्बर्स, एसोसिएशन, उद्योग/समूहों के प्रतिनिधि सहित हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद समय-समय पर उनके विचारों/टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए इसमें बदलाव करती है।

पेंशन, अन्य वित्तीय सेवाएँ, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों, प्रसारण, फार्मास्यूटिकल्स, एकल ब्रांड खुदरा व्यापार, निर्माण एवं विकास, पावर एक्सचेंज, ई-कॉमर्स क्रियाकलापों, कोयला खनन, संविदा विनिर्माण, डिजिटल मीडिया, नागरिक उड्डयन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति के प्रावधानों को उत्तरोत्तर उदार और सरल बनाया गया है। हाल के दिनों में, रक्षा, बीमा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में एफडीआई नीति में सुधार किए गए हैं। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के दौरान घरेलू उद्योग की सुरक्षा और अवसरवादी अधिग्रहण पर अंकुश लगाने के लिए, अब सीमावर्ती देशों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आने वाले विदेशी निवेश के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

अनुलग्नक

दिनांक 19.08.2025 को उत्तर के नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4198 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्र.सं.	समझौते का नाम
1	भारत–ओमान मुक्त व्यापार समझौता (वार्ता पूरी हो चुकी है)
2	भारत- ऑस्टेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (भारत- ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए का विस्तार)
3	भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता
4	भारत-श्रीलंका आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता
5	भारत-पेरू मुक्त व्यापार समझौता
6	भारत-चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता
7	भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता
8	भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए)
9	आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (एआईटीआईजीए) (समीक्षा)
10	भारत-कोरिया सीईपीए (समीक्षा)

*****